छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-05

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2022</u>

(श्रावण 4, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08, 10 एवं 12, (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 09 एवं 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री रामकुमार यादव, डॉ. रमन सिंह अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-22 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

पटल पर रखे ।

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

3. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने खनिज न्यास की राशि में अनियमितता किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय कर दिया है ।

माननीय सभापति ने यह भी सूचित किया कि प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनायें घटित होने तथा प्रदेश के सरगुजा जिला अंतर्गत सहदेव अरण्य कोल ब्लाक खनन परियोजना की स्वीकृति के कारण उत्पन्न स्थिति संबंधी 14 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को उन्होंने अग्राहय कर दिया है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 37 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

माननीय सभापति ने सूचित किया कि 01 से 03 तक की सूचना ली जावेगी ।

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण का उत्तर देने के लिये वन मंत्री को पुकारे जाने पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि ध्यानाकर्षण के उत्तर में गृह मंत्री जी के दस्तखत हैं और जब वे दस्तखत कर सकते हैं तो सदन में भी आ सकते हैं। उन्होंने आसंदी से उनकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि वे बुखार से पीड़ित हैं उन्हें वायरल हो गया है वे बात कर सकते हैं, दस्तखत भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आकर खडे नहीं हो सकते हैं।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.38 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कोई भी ध्यानाकर्षण उस स्पेसीफिक विषय, घटना के ऊपर लग सकता है, जो पिछले विधान सभा सत्र के आखिरी दिन और इस विधान सभा सत्र के प्रारंभ होने वाले दिनांक तक हो। प्रस्तुत ध्यानाकर्षण में 29 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस प्रकार का ध्यानाकर्षण हो सकता है या नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुये हमने घटनाओं को ध्यान में ला दिया । यदि विपक्ष का ध्यानाकर्षण लंबा है, इसमें मंत्री जी ने पढ़ने के समय टोका टाकी की, यह संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं ? यह विषय राज्य शासन के आलोक में पूरा ध्यान में आ चुका है तथा ध्यानाकर्षण पढ़ने के दौरान जिस प्रकार की घटना घटित हुई। इस सारे घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर हम इस ध्यानाकर्षण में कोई प्रश्न नहीं करेंगे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिला खनिज न्यास की राशि में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

7. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मेरे ध्यानाकर्षण का जो उत्तर आया है, वह मेरी ध्यानाकर्षण सूचना से बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों में व्यवस्था दिये जाने का आग्रह किया और यह पृच्छा कि कि व्यवस्था सिर्फ विपक्ष के लिये है कि आप लंबा ध्यानाकर्षण नहीं लगा सकते ?

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कई बार समय-समय पर पक्ष और विपक्ष सभी से निवेदन किया गया है कि विधानसभा का समय बहुत कीमती है उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसा प्रश्न करें, जिसका उत्तर ठीक ढंग से आ सके। आप ऐसा ध्यानाकर्षण रखें और ध्यानाकर्षण का उत्तर ऐसा दें, जो आज के हिसाब से कम से कम समय में पूरा किया जा सके । मैं पुन: दोनों पक्षों से कहूंगा, कि ध्यानाकर्षण के जो विषय हों, वह संक्षिप्त से संक्षिप्त हों और उसमें उत्तर भी संक्षिप्त आएं।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री चंदन कश्यप, सदस्य ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेड नेट हाउस एवं पेक हाउस निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद 4 से 37 तक के उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
4.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
5.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
6.	श्री बृजमोहन अग्रवाल
7.	श्री नारायण चंदेल
8.	श्री नारायण चंदेल
9.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा

10. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले
11. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, रजनीश कुमार सिंह
12. श्री सौरभ सिंह
13. श्री सौरभ सिंह
14. श्री रजनीश कुमार सिंह
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
16. श्री धर्मजीत सिंह
18. श्री पुन्नूलाल मोहले
20. सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
21. श्री सत्यनारायण शर्मा
22. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
23. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजनीश कुमार सिंह
24. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजनीश कुमार सिंह
25. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजनीश कुमार सिंह
26. सर्वश्री ननकीराम कंवर, नारायण चंदेल
27. श्रीमती इन्दू बंजारे
28. डॉ. विनय जायसवाल
29. श्री शैलेष पाण्डेय
30. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
31. श्री धर्मजीत सिंह
34. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा
36. श्री दलेश्वर साहू
37. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

9. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(4) श्री चंदन कश्यप

(5) श्री ननकीराम कंवर

(6) श्री बघेल लखेश्वर

(7) श्रीमती इन्दू बंजारे

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्री शिवरतन शर्मा

(3) डॉ. विनय जायसवाल

(1.28 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधेयक के खंड में एक संशोधन है।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि खंड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :-

धारा-2 अध्यक्ष का वेतन रूपये 32,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 47,000 प्रतिमास,

धारा-3 (3) अध्यक्ष को दैनिक भत्ता रूपये 3,000 प्रतिदिन के स्थान पर रूपये 2,500 प्रतिदिन, किया जाय तथा

धारा-2 उपाध्यक्ष का वेतन रूपये 28,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 35,000 प्रतिमास,

धारा-3 (2) उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 68,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 70,000 प्रतिमास,

धारा-3 (3) उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता रूपये 2,800 प्रतिदिन के स्थान पर रूपये 2,500 प्रतिदिन, किया जाय।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

संशोधन सर्वसममति से स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधेयक के खंड-2 में एक संशोधन है।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि खंड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :-

धारा-3 नेता प्रतिपक्ष का वेतन रूपये 30,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 45,000 प्रतिमास, तथा

धारा-4 (3) नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता रूपये 3,000 प्रतिदिन के स्थान पर रूपये 2,500 प्रतिदिन, किया जाय

संशोधन प्रस्तुत हुआ।
संशोधन सर्वसममति से स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
यथासंशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

12. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों एवं अपनी गिरफ्तारी और रिहा के संबंध में सदन को जानकारी दी।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 03.20 बजे स्थगित की जाकर 03.31 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि वे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित कर देंगे ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, सत्यनारायण शर्मा

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 04.03 बजे स्थगित की जाकर 04.09 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शैलेष पाण्डेय, शिवरतन शर्मा

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 52 तथा प्रस्ताव के विपक्ष में 12 मत पड़े ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

14. शासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित "वन (संरक्षण) नियम, 2022" के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा।

अत: यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के "वन (संरक्षण) नियम, 2022" से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करता है।

श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री संतराम नेताम, सौरभ सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,

श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

15. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जायें।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।"

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

16. वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों एवं माननीय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तारी व रिहाई के संबंध में वक्तव्य दिया।

सायं 06.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2022 (श्रावण-5, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा